छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का सम्बोधन

प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि की भूमि छत्तीसगढ़ की विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है।

छत्तीसगढ़ अपनी पुरातात्विक और जनजातीय संस्कृति और लोकाचार के लिए जाना जाता है, अपनी जीवंत कला, शिल्प, लोकगीत, और नृत्य के लिए भी जाना जाता है।

लोकतन्त्र में किसी भी विधायी निकाय का सदस्य होना गौरव और सम्मान की बात है। लेकिन आपके लिए यह गंभीर दायित्व का भी विषय है कि आप जनता द्वारा ऐसी विविध रंगी प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं।

एक विधायक के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हों, उसके लिए सदन के नियमों, परंपराओं और सत्र संचालन की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए और आवश्यक मार्गदर्शन के लिए यह दो-दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम आपके लिए सहायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार विधानसभा में आधे से भी अधिक विधायक यानि लगभग 50 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार इस विधान सभा के लिए चुने गए हैं। यह हर्ष का विषय है कि महिला विधायकों की संख्या भी 13 से बढ़कर 20 हो गई है। इस प्रकार यह विधान सभा ऊर्जा, युवा और अनुभव का अद्भुत संगम है।

विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी का एक लंबा राजनैतिक अनुभव रहा है। पूर्व लोकसभा सांसद, भारत सरकार में मंत्री और इस प्रांत के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं। मुझे विश्वास है कि उनके अनुभव और उनकी क्षमता का लाभ यहाँ की विधान सभा को और यहाँ की सरकार को भी मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, छत्तीसगढ़ भले ही एक छोटा राज्य है लेकिन यहाँ के लोगों की आपसे उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। स्थापना के दो दशक के अधिक के समय में इस राज्य ने प्रगति तो की है लेकिन अभी भी प्रगति के potential को पाने के लिए एक लंबा मार्ग तय करना है। आपने छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व लिया है, इसलिएइस राज्य और यहाँ की जनता के स्वर्णिम भविष्य को बनाना आपकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

माननीय सदस्यगण, हमारे देश की खूबी है कि यहाँ हर प्रांत अपने आप में विशेष है, विविधता की झलक हर राज्य में है। और इस विविधता के अनुरूप प्रत्येक राज्य की आवश्यकताएं और समस्याएं भी अलग हैं। आपको जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर सदन में भेजा है, तो आपको अपने क्षेत्र की विविधताओं और विशेषताओं के आधार पर ही वहाँ के विकास की कार्य योजना बनानी होगी।

सदन के सदस्य के रूप में आपकी सफलता इस बात से मापी जाएगी कि आप विधान सभा के पटल पर जनता की जरूरतों को, उनकी समस्याओं को कितनी निष्ठा से, कितनी गंभीरता से अभिव्यक्त करते हैं। विधायक के रूप में जनता के सामाजिक-आर्थिक जीवन में परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए आपको सदन के नियमों की इनकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है।

इसके लिए आप गहन अध्ययन करें। विषयों की जानकारी समग्रता में प्राप्त करने की कोशिश करें। जब सदन चल रहा हो, तो सदन के अंदर अपना समय दें, सदन के पुराने debates का अध्ययन करें, अनुभवी सदस्यों से मार्गदर्शन लें कि किस प्रकार आप सदन के अंदर अपनी रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्रश्न काल, शून्य काल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जैसे साधनों के अंतर्गत किस प्रकार के विषय उठाने चाहिए। आपकी भाषा स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो और to the point हो। मंत्रीगण भी संक्षिप्त रूप में उत्तर दें। इससे सदन का समय बचेगा और विषयों पर एक सार्थक बहस होगी।

सदन के अंदर जब कानूनों पर बहस हो रही हो, सरकार की नीतियों पर बहस हो रही हो, तो आपको उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको कानूनों का अध्ययन करना होगा, सभी स्टैकहोल्डर से बात करनी होगी। और उनके आधार पर अपने इनपुट देने होंगे।

टेक्नॉलजी आपके काम को आसान बनाता है। इसके माध्यम से आप जनता से आसानी से जुड़ सकते हैं, उनसे विचार-विनिमय कर सकते हैं और अपनी कार्यक्षमता और दक्षता को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको टेक्नॉलजी में पारंगत होना होगा।

समितियों के कामकाज में आपका सार्थक योगदान हो। समिति के विषयों की पूरी जानकारी आपको हो। जनता से सीधे जुड़े होने के कारण आपको जानकारी है कि सरकार की नीतियों और कानूनों का जनता पर क्या प्रभाव है और उसमें किन संशोधनों या परिवर्तनों की जरूरत है। आपके इस ज्ञान का लाभ समितियों को मिले। तभी सदनों को जन केंद्रित बनाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ विशेष रूप से जनजातीय राज्य है। यहाँ के जनजातीय लोगों की अपनी समस्याएं हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं। आप उनकी आवश्यकताओं को सदन में प्रस्तुत करें, सरकार के संज्ञान में लाएं और अपने सुझाव भी दें कि जनजातीय बंधुओं की समस्याओं का किस प्रकार समाधान हो सकता है।

छत्तीसगढ़ अनंत संभावनाओं का प्रदेश है। प्राकृतिक संपदा, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन से लेकर पर्यटन जैसे कितने ही सेक्टर हैं, जिसमें इस राज्य के आर्थिक काया-पलट करने की क्षमता है। इन सेक्टर्स के विकास के लिए जो कार्य योजना बने उसमें सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं के इनपुट शामिल किए जाएं। इसके लिए आपको तीनों स्तरों की लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बीच समन्वयक की भूमिका निभानी होगी।

माननीय सदस्यगण, पक्ष और प्रतिपक्ष, सहमित और असहमित संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। एक स्वस्थ लोकतंत्र वही है जहां प्रतिपक्ष बिना किसी रोक टोक के अपने विचार सदन में या सदन के बाहर रख सके।

असहमति प्रतिपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है लेकिन प्रतिपक्ष का यह संवैधानिक एवं नैतिक कर्तव्य भी है कि वह अपनी असहमति को संसदीय गरिमा और मर्यादा के स्थापित मापदंडों के भीतर व्यक्त करे।

सत्ता पक्ष भी यह ध्यान रखे कि उनमें राजनीतिक विरोधियों को धैर्य से सुनने की इच्छा शक्ति हो।

जब आपका बोलने का समय आए तो आप तर्कों से अपने विपक्षी की बात का प्रतिरोध करें, सदन में व्यवधान उत्पन्न करने से किसी का भी हित नहीं होता। सदन के भीतर अनुशासन और मर्यादा सर्वोपिर है।

मैं दोनों पक्षों से आग्रह करूंगा कि वे आसन के निर्णयों को सम्मान दें। आसन के निर्णयों की पवित्रता को बरकरार रखना न केवल लोकतांत्रिक लोकाचार को कायम रखता है, बल्कि जनता द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास और भरोसे को भी मजबूत करता है।

माननीय सदस्यगण, यह हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ आवंटित समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें, लोक कल्याणकारी विषयों पर सक्रिय और अधिकाधिक भागीदारी से सार्थक चर्चा हो, उसका एक सकारात्मक परिणाम निकले। हमें पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर आम जन के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है।

माननीय सदस्यगण,

यह समय विकास का है, विकसित भारत के संकल्प का है।

हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि देश में बड़े और व्यापक बदलाव तभी आये हैं जब हम एक निश्चित लक्ष्य के साथ प्रतिबद्धता और एकजुटता से आगे बढ़े हैं। आज ऐसे ही लक्ष्य और संकल्प का भाव आप सभी के भीतर भी अपेक्षित है।

आपको इस प्रबोधन कार्यक्रम में माननीय उप-राष्ट्रपति जी एवं माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा। मुझे विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन से, उनके विचारों से, अनुभवों से आपको अधिकतम लाभ मिलेगा।

माननीय सदस्यगण, आपका संकल्प एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि बनने का होना चाहिए। और आप एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि तभी बन सकते हैं जब आप इन मूलमंत्रों का पालन करें:

संवाद – आप जनता से निरंतर संवाद करें। उनकी समस्याओं को जानें, उनकी कठिनाईयों को जानें।

संपर्क – आप जनता के साथ रहें, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन की सच्चाईयों को जानें।

सह-अनुभूति - जनता के कष्टों और कठिनाईयों को महसूस करें, जैसे कि वह आपकी अपनी कठिनाई है।

समाधान - और इन सबके बाद आपके पास जनता की सामाजिक आर्थिक बेहतरी के लिए उचित समाधान हो।

माननीय सदस्यगण,

आज हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब देश का एक एक राज्य समृद्ध और विकसित बनेगा, उसके बाद ही अपने देश को विकसित बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा।

आपके संकल्पों और प्रयासों की बुनियाद पर ही एक भव्य और विकसित छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण होगा।

आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
